



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1942 (श0)
(सं0 पटना 428) पटना, बुधवार, 8 जुलाई 2020

लघु जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

9 जून 2020

सं0 प्र0-6/ल0ज0सं0(स्था0)-38/2019-2040—सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में गठित राज्य वेतन आयोग द्वारा वेतन संरचना से इतर सेवा संवर्गों के लिए अन्य अनुशंसायें भी की गई हैं। उक्त के क्रम में वित्त विभागीय पत्रांक-3907 दिनांक-07.06.2017 द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया है कि वेतन संरचना से इतर आयोग द्वारा की गयी अन्य अनुशंसाओं पर संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा अंतिम निर्णय लेकर तत्संबंधी आदेश निर्गत किया जाना है।

2. आयोग की अनुशंसा अध्याय 3.2 में लेखा लिपिक एवं अन्य लिपिक के संबंध में निम्नांकित गैर वित्तीय अनुशंसा की गयी है:-

“(क) क्षेत्रीय स्थापनाओं के विभिन्न पदनाम यथा लेखा लिपिक, भंडारपाल, पत्राचार लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्चवर्गीय लिपिक का अलग-अलग संवर्ग नहीं होगा, अपितु ये सभी सामान्य लिपिक संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक/उच्चवर्गीय लिपिक के नाम से जाने जायेंगे। लेखा लिपिक मरणशील संवर्ग होगा तथा इस पद पर नयी नियुक्ति नहीं की जायेगी।”

3. उक्त के आलोक में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया जाता है:-

- विभागीय अधिसूचना सं0-3228 दिनांक-28.07.2017 द्वारा अधिसूचित लघु जल संसाधन विभाग का लेखा लिपिकीय संवर्ग मरणशील संवर्ग रहेगा।
- भविष्य में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा लेखा लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2017 के अधीन लेखा लिपिक के पद पर कोई नई भर्ती/नियुक्ति यथा-सीधी भर्ती/प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति/अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जायेगी।
- उपर्युक्त निर्णय तुरंत के प्रभाव से लागू होंगे। परन्तु पूर्व से लेखा लिपिक/वरीय लेखा लिपिक के पदों पर कार्यरत कर्मी अपने पद पर बने रहेंगे और जैसे-जैसे पद रिक्त होते जायेंगे, वे पद स्वतः सामान्य लिपिकीय संवर्ग में सम्मिलित/समाहित माने जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0)-अस्पष्ट,
अवर सचिव।

The 9th June 2020

F.No./Sec-06/Mwrd (Estb)-38/2019-2040—The State Pay Commission, constituted in the light of the recommendation of 7th Central pay Commission, has also made recommendations for service cadres other than the pay structure. Consequent thereof, the State Government communicated its decision by letter no. 3907 dated 7.6.2017 of Finance Department that in the light of the recommendations made by the Commission regarding service cadre other than pay structure, the concerned department has to take decision and issue order.

2. Commission In Chapter 3.2 has made the following non financial recommendation regarding Accounts clerk and other clerk:-

"(a) There would not be separate cadres for different posts in field establishments such as Accounts clerk, store keeper, correspondence clerk, Lower Division clerk, Upper Division clerk rather than they all would be named as Lower Division Clerk/Upper Division Clerk of General Clerical Cadre. The Cadre of Accounts Clerk would be a dying cadre and no new appointment would be made on the said post."

3. Therefore, in view of the above the Minor Water Resources Department takes the following decision:-

- i. The Accounts Clerk Cadre, notified vide Departmental notification No. 3228 dated. 28-07-2017, would be dying Cadre
- ii. No new recruitment/appointment such as-Direct appointment/ appointment through promotion/appointment on compassionate ground-would be made on the post of Account Clerk under Accounts clerical cadre (recruitment & Service condition) rule 2017 by the Department.
- iii. Aforesaid decision would come in force with immediate effect. But the Junior Accounts Clerk/Senior Accounts Clerk working on that post would continue on their respective post and the post, which fall vacant, would be deemed to be merged automatically in the General Clerical Cadre.

By the order of Governor, Bihar,
(Sd)-Illegible,
Under Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 428-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>